

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 06-ए/16

संस्थित दिनांक :- 08/01/16

01. राजवीर सिंह पुत्र ऊधो सिंह उम्र 43 वर्ष।
 निवासी :- ग्राम बिसवारी (हरीछा), परगना-गोहद,
 जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

----- वादी

विरुद्ध

01. म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

----- प्रतिवादी

// निर्णय //

{ आज दिनांक :- 31/07/2017 को घोषित किया }

(01). वादी राजवीर सिंह द्वारा यह वाद प्रतिवादी मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध भूमि सर्वे क्रमांक 238 क्षेत्रफल 1.62, सर्वे क्रमांक 239 क्षेत्रफल 3.22 स्थित ग्राम बिसवारी, तहसील-गोहद, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में यह तथ्य प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसवारी में स्थित है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि पर जमींदारीकाल से वादी के पिता द्वारा खेती की जा रही थी, पिता के मरने के बाद वादग्रस्त भूमि पर वादी का हरकिस्म का कब्जा वर्तमान होकर खेती हो रही है, इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि को राज्य शासन द्वारा तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 के माध्यम से वादी के पक्ष में बंटन किया गया था। पटवारी मौजा एवं राजस्व निरीक्षक ने जब वादग्रस्त भूमि की जांच की थी, तो वादी का कब्जा पाया था और वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2057 लगायत 2060 के खसरो में वादी के नाम का भूमि स्वामी के रूप में इन्द्राज किया गया था। बाद में शासन की नीति के अनुसार कम्प्यूटर शाखा खोली गई और कम्प्यूटर के माध्यम से राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियाँ होना प्रारम्भ हो गया, तब वादी द्वारा

मौजा पटवारी एवं कम्प्यूटर शाखा में उसके नाम का इन्द्राज कराये जाने हेतु कहा गया तो उन्होंने ताल-मटौल की। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु कई बार आवेदन दिया गया। परन्तु वादी को कोई प्रतिलिपि प्रदान नहीं की गई। तब वादी द्वारा तहसील न्यायालय की नकल शाखा तथा भिण्ड की नकल शाखा में बंटन आदेश एवं खसरे की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये। कम्प्यूटर शाखा में भी अमल कराने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, परन्तु अमल नहीं किया गया। प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 24/12/2003 की प्रतिलिपि प्रदान न किये जाने और वादी के नाम का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में ना किये जाने से विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी के अधिकारी-कर्मचारी वादी को शीघ्रता से वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के लिए प्रयासरत है। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 238 एवं 239 स्थित ग्राम बिसवारी का न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 के अनुसार भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी द गोषित किया जाये एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह या उसका कोई अधीनस्थ कर्मचारी वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा कास्त में कोई बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें, ना किसी अन्य के माध्यम से कराये।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी मध्यप्रदेश राज्य है। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वादी को कथित प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि का कोई पट्टा प्रदान नहीं किया गया, ना ही किसी भी प्रकार से वादी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का कोई व्यवस्थापन किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा कभी नहीं रहा, ना ही वर्तमान में है। वादी या उसके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि से कभी कोई संबंध नहीं रहा, ना ही वादी या उसके पूर्वजों के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कभी भी खेती की गई है। यदि वादी द्वारा किसी राजस्व कर्मचारी, पटवारी से मिलकर बिना किसी राजस्व अधिकारी के आदेश के वादग्रस्त भूमि के किसी भी सम्वत् के राजस्व अभिलेख में कोई फर्जी प्रविष्टि करा ली हो, तो उससे वादी को वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होते है, बल्कि इस वावत् वादी के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण चलाया जाना चाहिए। फलतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद असत्य होने से सब्यय निरस्त किया जाये।

(05). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 01/09/2016 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवेचना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी भूमि सर्वे क्रमांक 238 क्षेत्रफल 1.62, सर्वे क्रमांक 239 क्षेत्रफल 3.22 स्थित ग्राम बिसवारी, परगना-गोहद का न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 के माध्यम से स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?	“अप्रमाणित”
02.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?	‘अप्रमाणित’
03.	क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?	“प्रमाणित”
04.	अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?	वाद निर्णय के पद क्रमांक 16 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(06). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी राजवीर वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी भीम सिंह वा.सा.02 एवं साक्षी टिकू सिंह वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने उसके वाद के समर्थन में धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्र.पी.01, रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्र.पी.02, वादग्रस्त भूमि के सम्वत् 2057 लगायत 2061 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03, भू अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 045048 प्र.पी.04, कलेक्टर भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक : 02/12/2014 प्र.पी.05, न्यायालय तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक : 08/12/2008 प्र.पी.06, न्यायालय तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक : 15/12/2014, जो कि वादी को बिना प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान किये वापस कर दिया गया, की मूल प्रति प्र.पी.07 प्रस्तुत की है।

(07). वादी द्वारा उसके वाद-पत्र के पद क्रमांक 01 में वादग्रस्त भूमियों पर जमींदारी काल से उसके पिता द्वारा खेती करते चले आने एवं पिता की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर स्वयं वादी का कब्जा वर्ताव होकर खेती कर रहे होने के आधार पर स्वयं को वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना दर्शित किया गया है। जबकि वाद-पत्र के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भूमि वादी को मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 के माध्यम से बंटन पर प्राप्त होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी को किस प्रकार प्राप्त हुई, इस वावत् वादी के अभिवचन आपस में विरोधाभाषपूर्ण है।

(08). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वादी राजवीर वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 में उल्लेखित प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित किसी आदेश की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। अभिलेख के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक :- 24/12/2003, जिसके माध्यम से वादी स्वयं को वादग्रस्त भूमि बंटन पर प्राप्त होना दर्शित करता है, की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की, बल्कि उसके द्वारा उक्त कथित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए तहसीलदार गोहद के समक्ष प्रस्तुत नकल आवेदन दिनांक : 15/12/2014 की मूलप्रति प्र.पी.07 प्रस्तुत की है, जिसके पृष्ठ भाग पर यह टीप अंकित है कि "मुताबिक दायरा पंजी 02-03/अ-19 पर शीर्ष क्रमांक 12/02-03/अ-19 पर ग्राम पड़राई दर्ज है एवं भाग 02 पर ग्राम सुहांस दर्ज है"। प्र.पी.07 के उक्त आवेदन पर उक्त टीप के नीचे हैडकॉपिस्ट तहसील गोहद के दिनांक : 13/08/2015 के हस्ताक्षर सहित यह नोट अंकित है कि "प्रवाचक टीप के आधार पर आवेदन पत्र शुल्क सहित मूलतः वापस किया जाता है"। नकल आवेदन प्र.पी.07 पर अंकित उक्त प्रवाचक टीप एवं उसके नीचे अंकित हैडकॉपिस्ट के नोट से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 238 एवं 239 स्थित ग्राम बिसवारी परगना-गोहद के संबंध में कार्यालय तहसीलदार गोहद में कोई प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 अस्तित्व में नहीं है, जिसके द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमियाँ बंटन पर प्रदान की गई हो।

(09). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वादी राजवीर वा.सा.01 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा तहसील गोहद वृत्त एण्डोरी की दायरा पंजी वर्ष 2002-2003 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.01 दिखाकर पूछे जाने पर कि प्र.डी. 01 के दस्तावेज में प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 की ग्राम बिसवारी की कोई प्रविष्टि है, अथवा नहीं, वादी राजवीर वा.सा.01 द्वारा व्यक्त किया है कि उसे इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने उक्त पंजी कभी नहीं

देखी। तत्पश्चात् वादी राजवीर वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत नकल आवदेन प्र.पी.07 पर यह टीप अंकित है कि प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 पर ग्राम पड़राई दर्ज है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी मध्यप्रदेश राज्य की ओर से प्रस्तुत न्यायालय तहसीलदार गोहद के दायरा रजिस्टर्ड वर्ष 2002-2003/अ-19 की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 12/2002-2003/अ-19 ग्राम बिसवारी की किन्हीं भूमियों के संबंध में नहीं है, जहाँ कि वादग्रस्त भूमियाँ स्थित है, बल्कि उक्त प्रकरण क्रमांक ग्राम पड़राई की भूमियों के संबंध है, जहाँ कि वादग्रस्त भूमियाँ स्थित नहीं है। इस प्रकार वादी न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 12/2002-2003/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसके माध्यम से कथित रूप से वादग्रस्त भूमियों का बंटन तहसीलदार गोहद द्वारा उसके पक्ष में किया गया था।

(10). वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 238 एवं 239 स्थित ग्राम बिसवारी के सम्वत् 2057 लगायत 2061 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 प्रस्तुत की गई है, जिसके सम्वत् 2059 एवं 2060 के कॉलम नम्बर 15 एवं 16 में प्रमाणित प्रतिलिपि के शेष भाग से ज्यादा कालिमा लिये हुये भाग पर यह अंकित है कि प्रकरण क्रमांक 12/2002-2003/अ-19 में तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक : 24/12/2003 के अनुसार सर्वे क्रमांक 238 एवं 239 पर राजवीर पुत्र उधो सिंह, निवासी ग्राम हरीछा का भूमि स्वामी स्वत्व पर बंटन स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 के अवलोकन से उसके जिस भाग पर वादग्रस्त भूमियों के वादी के पक्ष में आंवटन की उक्त टीप अंकित है, वह मूल खसरे पर पृथक से कागज चस्पाकर फोटोकॉपी किया गया होना दर्शित होता है। वैसे भी चूँकि वादी द्वारा तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 12/2002-2003/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत ना किये जाने के कारण, खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 के आधार पर ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वादग्रस्त भूमियाँ वादी को तहसीलदार गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2002-2003/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 के माध्यम से बंटन पर प्रदान की गई थी। इसी प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमियों की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक 045048 प्र.पी.04, के आधार पर भी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वादग्रस्त भूमियाँ वादी को तहसीलदार गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2002-2003/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 के माध्यम से बंटन पर प्रदान की गई थी।

(11). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वादी राजवीर वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के वर्तमान के राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज

है। साक्षी टिन्कू सिंह वा.सा.03 ने भी प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई, जिसमें वादी का नाम वादग्रस्त भूमियों के स्वामी अथवा आधिपत्यधारी अथवा अतिक्रामक के रूप में दर्ज हो। प्रतिवादी मध्यप्रदेश राज्य की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमियाँ स्थित ग्राम बिसवारी के सम्वत् 2062 लगायत 2066 के खसरे की सत्यप्रति प्र.डी.02 एवं सम्वत् 2067 लगायत 2071 प्र.डी.03 में भी वादी राजवीर का नाम वादग्रस्त भूमि के स्वामी अथवा आधिपत्यधारी अथवा अतिक्रामक किसी भी रूप में दर्ज नहीं है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में वादी राजवीर वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा खसरे की सत्यप्रति प्र.डी.02 एवं प्र.डी.03 दिखाकर पूछे जाने पर प्रतिवादी अधिवक्ता के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.डी.02 एवं प्र.डी.03 के वादग्रस्त भूमि के खसरों में वादी के नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है।

(12). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में भीम सिंह वा.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वादग्रस्त भूमि वादी राजवीर को उसके पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, जबकि वादी राजवीर द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि वादी राजवीर को उसके पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो। भीम सिंह वा.सा.02 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि बीहड़ भूमि है, समतल भूमि नहीं है। जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वादी राजवीर ने वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई खेती नहीं की। असमतल बीहड़ भूमि पर खेती किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार असमतल बीहड़ वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्यधारी होने एवं वादी द्वारा उस पर खेती करने संबंधी साक्षी भीम सिंह वा.सा.02 के प्रति-परीक्षण में दर्शित उक्त तथ्य परस्पर विरोधाभासी होने के कारण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

(13). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 238 क्षेत्रफल 1.62, सर्वे क्रमांक 239 क्षेत्रफल 3.22 स्थित ग्राम बिसवारी, परगना-गोहद का न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 12/02-03/अ-19 में पारित आदेश दिनांक : 24/12/2003 के माध्यम से स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष "अप्रमाणित" के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 02

(14). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी राजवीर वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी भीम सिंह वा.सा.02 एवं साक्षी टिन्कू सिंह वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों के

अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी के किन्हीं अधिकारों में प्रतिवादी द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(15). हस्तगत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादी को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 1,468/- रुपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 600/- रुपये न्याय-शुल्क अदा किया गया है, जो कि पर्याप्त एवं उचित प्रतीत होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

- (16). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी उसका वाद प्रमाणित करने में असफल रहा हैं। फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (17). वादी स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादी का भी वाद-व्यय वहन करेगा।
- (18). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (19). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

